न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 76/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2021/417

1. श्री नानुराम पिता दला भील निवासी धारता तहसील कानोड़ जिला उदयपुर (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड़ जिला उदयपुर राज0

..............अप्रार्थी

उपस्थित—1. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 05.07.2022

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धारता, पटवार हल्का धारता, भू–अभिलेख निरीक्षक सालेडा, तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी आराजी नम्बर 71/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा व 71/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मोडा पिता श्री दला भील के नाम पर दर्ज हैं। ताईद में नकल जमाबंदी पेश हैं।

2. यह कि प्रार्थी के पिता का नाम दला है, दला के पिता का नाम मोडा है, परन्तु राजस्व रेकर्ड में दल्ला पिता मोडा के बजाय मोडा पिता दला दर्ज हो गया है, परन्तु सेहवन से पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में मोडा पिता दला अंकित कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम दला है, दला व मोडा की मृत्यु हो चुकी है। दला के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम दला पिता मोडा है, जो मोडा पिता श्री दला गलत दर्ज है, जो दला पिता श्री मोडा दर्ज होना चाहिए था जबकि प्रार्थी के पिता के ताईद में पहचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड दल्ला पिता श्री मोडा के नाम से बने हुए हैं। ताईद में जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि इस प्रकार से पहचान पत्र राशन कार्ड में भी मुझ प्रार्थी के पिता का सही नाम दल्ला पिता श्री मोडा है मोडा प्रार्थी दादाजी है प्रार्थी के दादाजी के नाम गलत दर्ज हो गया है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता नाम के आगे सही नाम दल्ला पिता श्री मोडा होने से सही राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावे।

4. यह कि इस प्रकार की त्रुटि मात्र सहवन से हुई है। जिसको दुरस्त कराया जाना आवश्यक है, प्रार्थी का सही नाम दल्ला पिता श्री मोडा होने से जहां–जहां भी राजस्व रेकर्ड में मोडा पिता श्री दला अंकित किया गया है, उस स्थान पर दला पिता श्री मोडा अंकित कराया जाना चाहिए।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी जरिये नोटिस तलब किया गया। न्याय निर्णयन में सुविधा हेतु प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर मोड़ा पिता दल्ला नाम के किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी होने या न होने के बारे में राष्टीय/राज्य स्तर नोटिस चस्पा कर अखबार की प्रति पेश की। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार कानोड़ द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे रिपोर्ट पेश की गई। जो इस प्रकार है :–

i. यह कि ग्राम धारता, तहसील कानोड के आराजी नम्बर 71/1 रकबा 1–15 बीघा एवं आराजी संख्या 71/2 रकबा 4–10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6–5 बीघा मोडा पिता दल्ला भील निवासी धारता के नाम आवंटन हुआ था।

ii. यह कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड बाद बन्दोबस्त उक्त दोनों आराजी नम्बर के नवीन हाल आराजी नम्बर 2544/342 रकबा 1.35 हेक्टेयर बना जिसमें खातेदार का नाम मोडा पिता दल्ला भील दर्ज है।

iii. यह कि प्रार्थी के पिता दल्ला के पहचान दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मोडा पिता दल्ला के बजाय दल्ला पिता मोडा दर्ज है जो सही है।

iv. यह कि ग्राम में पुछताछ करने पर मोडा पिता दल्ला भील नाम का कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। जो वास्तव में दल्ला पिता मोडा भील नाम का व्यक्ति ही पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

v. यह कि रेकर्ड में उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल अथवा संहवन से न होकर शुरू से ही आवंटन मोडा पिता दल्ला भील के नाम से ही हुआ था। अतः आवंटन ही मोडा पिता दल्ला भील के नाम पर होने से प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्यन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्यन किया। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा बताया गया कि मूल आंवटन ही मोड़ा पिता दल्ला के नाम पर हुआ था। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में मोडा पिता दल्ला के बजाय दल्ला पिता मोडा दर्ज है, जो सही है। ग्राम में पुछताछ करने पर मोडा पिता दल्ला भील नाम का कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। जो वास्तव में दल्ला पिता मोडा भील नाम का व्यक्ति ही पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत , धारता का प्रमाण पत्र पेश किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत धारता द्वारा प्रमाणित किया गया कि दल्ला पिता मोड़ा नाम का व्यक्ति ही भीलों की भागल में निवासरत है मोड़ा पिता दल्ला नाम से कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है। प्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया। इस न्यायालय द्वारा अख़बार में चस्पा करने के बावजूद भी कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी यह साबित करने में सफल हुआ कि मोड़ा पिता दल्ला नाम से कोई व्यक्ति निवासरत नहीं है मूल आंवटन में त्रुटि के कारण प्रार्थी का नाम मोड़ा पिता दल्ला हो गया था। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता, पटवार हल्का [illegible]लेड़ा, तहसील कानोड़ जिला उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 71/1 रकबा 1 बिघा [illegible] बिस्वा व 71/2 रकबा 4 बिघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2544/342 रकबा 1.35 हेक्टर भूमि में संशोधन कर खातेदार मोड़ा पिता दल्ला भील के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

दल्ला पिता मोड़ा भील अंकित किया जाये। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:46:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner